न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 54 / 2018

निर्णय दिनांक 18/5/2021

हरीनाथ पुत्र स्वर्गीय माननाथ जाति सिद्ध निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये अपने वादमित्र लिछमादेवी पत्नी हरीनाथ जाति सिद्ध निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।
2. उमनाथ — पुत्रगण स्व. माननाथ
3. हजारीनाथ
4. भागुनाथ
5. रेवन्ती देवी — पत्नी स्व. श्रीरामनाथ
6. गणेशनाथ — पुत्र स्व. श्रीरामनाथ
7. मुकेश
8. अंजू

जातिगण सिद्ध निवासीगण बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़

9. प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, श्रीडूंगरगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र हरीनाथ ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि यह है कि प्रार्थी विवाहित एवं बाल–बच्चों वाला है। प्रार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अपनी इसी अस्वस्थता के चलते प्रार्थी बिना बताये ही कई कई दिनों के लिये घर से बाहर रहता है। प्रार्थी के परिवार में प्रार्थी की पत्नी लिछमादेवी व पुत्र गिरधारी व राजू है। प्रार्थी स्वयं के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण प्रार्थी की समस्त देखभाल प्रार्थी की पत्नी ही करती है इसलिये प्रार्थी की अस्वस्थ मनोदशा (विकृतचित) के कारण उसकी पत्नी वादमित्र के रूप में अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। यह कि खसरा नम्बर 160 जिसके गत खसरा नम्बर 143 तादादी 4.87 हैक्टेयर रोही ग्राम रीड़ी की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के पिता मननाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी बाना के नाम दर्ज थी जो जरिये विरासतन इन्तकाल नम्बर 380 ग्राम रीड़ी के द्वारा स्व. माननाथ वल्द पूर्णनाथ के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। स्व. माननाथ पुत्र पूर्णनाथ का वंश वृद्वा इस प्रकार है–

माननाथ

सिनगारी	हरीनाथ	उमनाथ	हजारीनाथ	भागुनाथ	भुरनाथ
(पत्नी फौत)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)

यह है कि जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2033 व 2037 खसरा नम्बर 143 रोही ग्राम रीड़ी में प्रार्थी हरीनाथ का नाम अन्य संयुक्त खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 6 ता 8 (संयुक्त 1/6 हिस्सा) के पति/पिता स्व. श्रीरामनाथ (पुत्र माननाथ) के साथ बहिस्सा बराबर के रूप में दर्ज था प्रार्थी की माता सिनगारी पत्नी स्व. माननाथ का स्वर्गवास हो चुका है। तत्पश्चात् जमाबन्दी खतौनी संख्या 610 सम्वत 2058 ग्राम रीड़ी में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश दर्ज होने से रह गया। प्रार्थी की पत्नी वादमित्र लिछमादेवी ने अपने पति हरीनाथ के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 160 की जमाबन्दी हल्का पटवारी से ली तो ज्ञात हुआ कि रिकोर्ड में हरीनाथ का नाम ही दर्ज नहीं है। प्रार्थी हरीनाथ की पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

वादमित्र ने तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ से निवेदन किया कि आप मेरे पति के उक्त खसरा की राजस्व रिकोर्ड में भूलवंश रह गया नाम पुनः दर्ज करें तो उन्होने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से ही नाम दर्ज कराओ। प्रार्थी अपने उक्त खसरान् के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकार है। यह प्रार्थना–पत्र पेश करने वाद हेतुक है। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की अन्य पैतृक भूमि खसरा नम्बर 14 रोही ग्राम बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम विरासतन इन्तकाल के द्वारा शुरू से ही दर्ज चला आ रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी स्टेट है जो राजस्व रिकोर्ड का संधरण करता है इसलिये अप्रार्थी स्टेट को पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाया गया जिनसे कोई अलग से अनुतोष नहीं चाहा गया है। मूल अनुतोष अप्रार्थी संख्या 1 से रिकोर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी की पूर्व स्थिति बहाल करने का चाहा गया है। यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 4.87 हैक्टेयर रोही ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती कर 1/5 हिस्सा प्रार्थी हरीनाथ पुत्र स्व. माननाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ का नाम दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी स्टेट देने की कृपा करें। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष हो भी प्रार्थी को दिलवाने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता पेश होकर इकबालिया जवाब पेश किया गया। स्टेट की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया कि हरीनाथ पुत्र माननाथ का नाम सहवन से अभिलेख में छूट गया जो माननीय न्यायालय द्वारा जोडा जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 4.87 हैक्टेयर रोही ग्राम रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर 1/5 हिस्सा हरीनाथ पुत्र स्व. माननाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम बाना तहसील श्रीडूंगरगढ का नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिया जाता है। रहन मुक्त होने के बाद नामान्तरण खोला जावे। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)